ख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **राजस्व वाद संख्या 439/2018 अनवान बाबुलाल बनाम हनुमानराम**	नम्बर व तारीखअहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
21.01.19	**निर्णय** दिनांक :– 21.01.2019 वादीगण की और से अधिवक्ता श्री नृसिंह सोलंकी उपस्थित। प्रतिवादीगण की और से उनके अधिवक्ता श्री बांकाराम चौधरी उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 द्वारा इकबाली जवाब दावा दिनांक 15.01.2019 को प्रस्तुत करते हुए स्वीकार किया गया है कि वादग्रस्त भूमि मौजा जेताणियों की ढाणी पटवार मण्डल भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर में स्थित खेत खसरा संख्या 763/697 रकबा 35.15 बीघा, खसरा संख्या 766/709 रकबा 42.15 बीघा कुल रकबा 78.10 बीघा भूमि आई हुई है। उक्त भूमि पैतृक है। वादीगण, प्रतिवादी संख्या 01 हनुमानराम की जायन्दा औलाद है। वादग्रस्त भूमि पैतृक होने से हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत पिता प्रतिवादी संख्या 01 हनुमानराम के हिस्से की भूमि में उनके जीवनकाल में सहखातेदारी में घोषित करवाने के अधिकारी बनते है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 हनुमानराम के हिस्से की भूमि में सहखातेदार घोषित किया जाता है तो मुझ प्रतिवादीगण को कोई आपति नही है। उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई एवं वाद पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। मौजा जेताणियों की ढाणी पटवार मण्डल भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर में स्थित खेत खसरा संख्या 763/697 रकबा 35.15 बीघा, खसरा संख्या 766/709 रकबा 42.15 बीघा कुल रकबा 78.10 बीघा भूमि पैतृक होने से वादीगण, प्रतिवादी संख्या 01 हनुमानराम के हिस्से की भूमि में सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी बनते है। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा जेताणियों की ढाणी पटवार मण्डल भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर में स्थित खेत खसरा संख्या 763/697 रकबा 35.15 बीघा, खसरा संख्या 766/709 रकबा 42.15 बीघा कुल रकबा 78.10 बीघा भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 हनुमानराम के हिस्से की भूमि में सहखातेदार घोषित करते हुए वादीगण प्रत्येक का	
(SDO) उपखण्ड अधिकारी (SDO) बाड़मेर		

Scanned by CamScanner

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **राजस्व वाद संख्या 439/2018 अनवान बाबुलाल बनाम हनुमानराम**	ता... जो ... तामील ... हुए
4/10-4/10 सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर 25/07/15	(1/8–1/8) हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 01 हनुमानराम का (1/8) हिस्सा खातेदारी में घोषित किया जाता हैं। शेष खाता बदस्तुर रहेगा। जमाबन्दी चौसाला में एमजीबी शाखा भाड़खा के नाम रहन का अंकन यथावत कायम रहेगा। तहसीलदार बाडमेर तदनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। डिकरी पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर	4/10 सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर 25/07/15

Scanned by CamScanner

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **राजस्व वाद संख्या 439/2018 अनवान बाबूलाल बनाम हनुमानराम**	नम्बर व तारीखअहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
15/04/19	वादीगण की और से वकील श्री नृसिंह सोलंकी द्वारा एक आवेदन अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व वाद संख्या 439/2018 में पारित निर्णय दिनांक 21.01.2019 में पृष्ठ संख्या 02 की प्रथम पंक्ति में 1/10–1/10 हिस्सा के स्थान पर लिपिकीय त्रुटी से 1/8–1/8 हिस्सा अंकित किया गया है। उक्त त्रुटी लिपिकीय त्रुटी है जिसे दुरूस्त कर शुद्ध 1/10–1/10 हिस्सा डिकरी व निर्णय मे अंकित करवाने के आदेश प्रदान करावें। आवेदन पर वकील वादीगण को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि वादीगण का वदग्रस्त भूमि में वास्तविक हिस्सा 1/10–1/10 बनता है। लिपिकीय त्रुटी से हिस्सा 1/8–1/8 अंकित हो गया है, जो अशुद्ध है एवं शुद्धियोग्य है। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व वाद संख्या 439/2018 में पारित निर्णय दिनांक 21.01.2019 में पृष्ठ संख्या 02 की पंक्ति संख्या 01 में तथा डिकरी पर्चा में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का 1/8–1/8 हिस्सा के स्थान पर 1/10–1/10 हिस्सा शुद्ध किया जाता है। तदनुसार संशोधित डिकरी पर्चा जारी हो। तहसीलदार बाडमेर तदनुसार राजस्व रेकड में अमल दरामद करे। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। आवेदन सुमार फैसल होकर मूल वाद के संलग्न हो। सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर	

Scanned by CamScanner